न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता बिरौल ,दरभंगा

खोखाई राम वगैरह

वनाम

वनाम विन्देश्वर मोची

वाद संख्यां 40/13-14

वाद का प्रकार - अधिकार का प्रख्यापन

आदेश

15.11.2013 यह वाद बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत प्रश्नगत भूमि पर वादी के अधिकार के प्रख्यापन के लिए दायर किया गया है

प्रश्नगत भूमि का विवरण

मौजा आधारपुर थाना घनश्यामपुर थाना नम्बर- 336 जिला दरभंगा

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
196 पू०	1811	10 डी०	उत्तर-मोहनाथ हरगोविन्द दास
1711 नया	4297		दक्षिण-पवितर चमार

वादी का संक्षेप में कहना है कि प्रश्नगत भूमि मसो० फुदिया की है. वादपत्र में दिए गए वंशावली के अनुसार अपने अपने पिता के देहांत के बाद सभी 1 से लेकर 8 तक आवेदकगण प्रश्नगत भूमि के मालिक हुए एवं दखल में आये तथा आम के बगीचे का उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे है. दिनांक 03.02.13 को प्रतिवादी के द्वारा बताया गया कि पुनिरिक्षण सर्वे में प्रतिवादीगण के पिता बदलू राय के नाम से प्रश्नगत भूमि दर्ज हो गया है जिसके कारण

प्रतिवादी द्वारा वादी को वेदखल करने का धमकी दिया जाता है. अतः वादी का कहना है कि न्यायालय द्वारा हाल सर्वे में दर्ज प्रविष्टि को गलत घोषित किया जाय.

दुसरी तरफ प्रतिवादीगण का संक्षेप में कहना है कि प्रस्तुत वाद मौजा आधारपुर थाना नं0–338 खाता 196 पु0/1711 नया खेसरा 1811 पु0 /4297 नया रकवा 10 डि0 चौहद्दी उ0–मोदनाथ हरिगोविन्द द0–पवित्तर यादव की भूमि पर संस्थित कराया गया है। भूखण्ड की चारो चौहद्दी नही देने के कारण निश्चित पहचान नही है अपहचानित भूखण्ड पर किसी तरह के तकरार का समाधान प्रदत्त नही है। वाद पत्र में तकरार का विशिष्ट तारीख के कारण नही दर्शाया गया है। भूखण्ड के श्रोत अस्पष्ट है सी0 पी0 सी0 ऑडर ।। निहित रूल्स के लिहाज से वाद पत्र त्रुटिपुर्ण है। भूमि विवाद के समाधान के लिए भूमि की आदि से अद्यतन की उल्लेख आवश्यक है विहित उत्तरण कर ही विज्ञ न्यायालय विचारण कर समुचित निर्णय पर आ सकते है लिहाजा अग्रतर कंडिकाओं में विवादी भूमि का पुर्ण व्यौरा संकलित किया गया है। उल्लेखनिय है कि विवादी भूमि के वास्तविक भूस्वामी के खानदान से उभय पक्ष संबंध रखते है। उक्त भूमि खतियानी रैयत मसोमात फुदिया जौजे बुटन की सास थी जो तौजी नं0 18 के मालिक राज दरभंगा ने निलाम कर अपने बकास्त खाता में ले लिया, वो फिर पश्चात मसोमात कनचनिया जौजे बटेरी चमार उर्फ बाबुलाल वो पवित्रा चमार पे0 दुरबीन चमार को स्थानान्तरित किया। घटना क्रम वर्ष 1939 दिनांक 01–08–39 ई0 का है जिसमें विवादी भूमि सहित अन्य अविवादी भूमि निहित है। पवित्र चमार पे0 वंशी चमार के प्रतिवादी विलट चमार पे0 दुरवीन चमार के वंश से आते है यहॉ स्पष्ट करना है कि दुरबीन चमार को दो पुत्र विलट चमार वो नेगर चमार हुए। विलट चमार नावल्द मर गये जबकि नेगर चमार जिन्दा रहे । नेगर चमार अपने पिछे दो पुत्र कमशः बदलु चमार, वो सोरपा चमार को छोड़कर गये। फिर सोरपा चमार जवानी में ही मर गये जबकि बदलु मोची अपने पिछे एक पुत्र बिन्देश्वर को भी छोड़ गये जो प्रतिवादी है। हिन्दू विधि के सम्पत्ति हस्तान्तरण में विलट चमार की अर्जित सम्पत्ति का एक मात्र स्वामी प्रतिवादी हुए एवं उन्होने वाद की भूमि सहित अन्य भूमि को अभिधारित किया वाद की भूमि तदनुसार ही दखल कब्जा में प्राप्त हुआ एवं उसे जोत कब्जा कर फसल से लाभान्वित होते है इसलिए हाल सर्वे खतियान में वाद की भूमि का खतियान प्रतिवादी के पिता के नाम इन्द्राजित हुआ।

दोनों पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना, अभिलेख एवं उपलब्ध कराये गए साक्ष्यों का अवलोकन किया. वादी द्वारा हाल खतियान में सुधार एवं प्रश्नगत भूमि पर अधिकार के प्रख्यापन की मांग की गई है परन्तु हाल खतियान की प्रति संलग्न नहीं की गई है. वादी द्वारा पुराने खतियान की प्रति संलग्न की गई है जिसमे वादी के पूर्वज मसो० फुदिया जौजे

बूटन के नाम से प्रश्नगत भूमि दर्शाया गया है. वादीगण द्वारा वादपत्र में वंशावली दिया गया है जिसमे उनके सभी वंशजों के नाम से प्रश्नगत भूमि के अधिकार के प्रख्यापन की मांग की गई है. प्रतिवादी का कहना है कि वे वादीगण वंशज है तथा राज दरभंगा द्वारा प्रतिवादी के पूर्वजों को प्रश्नगत भूमि हस्तांतरित किया गया है. प्रतिवादी द्वारा राज दरभंगा कार्यालय के कागजात प्रस्तुत किये गए हैं. वादपत्र, कागजातों एवं लिखित बहस पर विचार करने के बाद यह स्पष्ट होता है कि वादीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि पर पांच पीढ़ी के बाद अधिकार के प्रख्यापन की मांग की जा रही है जबकि वादी एवं प्रतिवादी दोनों के वंशजों के नाम से राज दरभंगा के कागजात हैं. इस प्रकार इस वाद में हिस्सा, बंटवारा एवं जटिल स्वत्त्व न्याय-निर्णित करने का संश्लिष्ट प्रश्न निहित है. इस प्रकार बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 के धारा 4 (5) के आलोक में वाद की कार्यवाही बन्द किया जाता है तथा पक्षकार उचित व्यवहार न्यायालय के सक्षम उपचारों की याचना के लिए स्वतंत्र होंगे.

उपर्युक्त निष्कर्ष के साथ इस वाद को निस्तारित किया जाता है. उक्त आदेश से उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को अवगत करा दे तथा आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चिपका दे.

लेखापित एवं संशोधित

15.11.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता ,

बिरौल

15.11.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता ,

बिरौल